



गैर-सरकारी महाविद्यालयों में बी.एड. पाठ्यक्रम के प्रति बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की अभिवृत्ति

मेघा पाटीदार¹ & ऋषि केश बहादूर²

¹सहायक प्रोफेसर, महर्षि इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर, मध्यप्रदेश.

²पीएच-डी. शोधार्थी, शिक्षा विभाग, महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र.

Abstract

किसी भी देश का विकास उस देश की शिक्षा व्यवस्था तथा नागरिकों की शिक्षा पर निर्भर करता है। शिक्षा की गुणवत्ता का बड़ा दारोमदार शिक्षकों पर ही होता है, परंतु आज निजी प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि से शिक्षा के व्यवसायीकरण व व्यापारीकरण को बढ़ावा मिला है, जिससे अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। प्रस्तुत शोध आलेख मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के चार निजी महाविद्यालयों में कार्यानुभव तथा बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों से अंतः क्रिया पर आधारित है। बी.एड. प्रशिक्षुओं की अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में- (1) निजी महाविद्यालयों में आवंटित सीट्स पर प्रवेश को लेकर प्रतिस्पर्धा का होना, (2) निजी महाविद्यालयों में शिक्षकों का वेतन कम होना, (3) महाविद्यालय प्रमुख द्वारा बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की असाइनमेंट संबंधित निष्ठाहीन विचारों को प्रश्रय देना, (4) बिना कठिन परिश्रम के आंतरिक व प्रायोगिक परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त होना, (5) बी.एड. की सैद्धांतिक परीक्षा प्रपत्र की सरल संरचना एवं उत्तरपुस्तिकाओं की जाँच लचीले ढंग से करना, तथा (6) निजी महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को वांछित सभी आधुनिकतम संसाधन और सुविधाओं का अभाव, मुख्य रूप से शामिल है।

मुख्य बिंदु: निजी प्रशिक्षण संस्थान, बी.एड. प्रशिक्षणार्थी, अभिवृत्ति



Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

समाज में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी देश का विकास उस देश के नागरिकों की शिक्षा पर निर्भर करता है। अतः शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए शिक्षा की

गुणवत्ता को बनाए रखना अति आवश्यक है और शिक्षा की गुणवत्ता का बड़ी जवाबदेही शिक्षकों पर ही होता है। कई बार यह कथन सुनने में आता है कि शिक्षक राष्ट्र व समाज के निर्माता होते हैं। हमारे देश में, शिक्षकों को समाज में उत्कृष्ट स्थान दिया जाता है, उन्हें आदर्श माना जाता है। 'शिक्षक' शब्द एक ऐसे व्यक्तित्व को चित्रित करता है, जिसमें ज्ञान के साथ साथ गुण, दक्षता, कौशल व सकारात्मक अभिवृत्ति का होना अति आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए ज्ञान अर्जित करना आसान होता है परन्तु एक योग्य शिक्षक बनना उतना ही कठिन है। शिक्षकों में सदगुणों एवं क्षमताओं का विकास करने के लिए अध्यापक शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग्य शिक्षकों की इसी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम का निर्माण एन. सी. टी. ई. द्वारा किया गया, जो उनके लिए पाठ्यक्रम, अहर्ता तथा प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिए मानक निर्धारित करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में, सम्पूर्ण देश के बी.एड. पाठ्यक्रम का कालावधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया गया है और हाल ही में, इसे बढ़ाकर चार वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ ही संलग्न किया जा रहा है ताकि बी.एड. प्रशिक्षणार्थी को उचित समयावधि एवं तरीकें से प्रशिक्षित किया जाए क्योंकि यही बी.एड. प्रशिक्षणार्थी भावी शिक्षक बनेंगे, इसलिए उनके द्वारा अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन तभी किया जा सकेगा, जब वे योग्य और कुशल होंगे अर्थात् उनमें ज्ञान, कौशल, चिंतन, सृजनात्मकता तथा अभिवृत्ति आदि गुणों का समुचित विकास होगा तभी वे अपने विद्यार्थियों में इन गुणों को विकसित कर पाने में सक्षम होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) एवं संशोधित शिक्षा नीति (1992) में स्पष्ट रूप से सिफारिश की गई है कि अध्यापक शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो सेवा से पूर्व व सेवा के उपरांत अनवरत आवश्यक तथा प्रेरणादायी होनी चाहिए। अपने प्रथम कदम में सम्पूर्ण अध्यापक शिक्षा तंत्र एवं शिक्षण प्रक्रिया सदैव समाज की व्यापक व नवीन आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। इसमें अध्यापक शिक्षा को एक निरंतर प्रक्रिया बताया गया है, साथ ही इसके सेवापूर्व और सेवाकालीन दोनों घटकों की अपृथकता

रेखांकित की हैं, जिनमें मुख्य बिंदु को इस प्रकार व्यक्त किए गए हैं- व्यावसायिक दायित्व बोध तथा अध्यापकों की सम्पूर्ण अभियोग्यताएँ शिक्षा क्षेत्र में सराहनीय है। सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा ने गतिशील अभिनव अध्यापन विज्ञान के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं किया है अपितु इसने हासमान प्रवृत्ति तत्वों को दर्शाया हैं। अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम मुख्यतः सेवापूर्व प्रशिक्षण से जुड़े हैं, उसकी वस्तुतः कोई सुनियोजित प्रशिक्षण योजनाएँ नहीं हैं और जो वांछित संसाधन है, वे सुविधाओं के अभाव से ग्रसित हैं।

बी.एड. (बैचलर ऑफ एडुकेशन) एक स्नातक डिग्री है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति विशेष को शिक्षण संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या निर्माण में यह अवधारणाएँ रखी गयी है कि यदि बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षा-मनोविज्ञान, शिक्षा-दर्शन, शिक्षा-समाजशास्त्र, शिक्षा-तकनीकी, सूक्ष्म-शिक्षण, शिक्षण विधियों, निर्देशन एवं परामर्श एवं पाठ्यचर्या निर्माण आदि का प्रशिक्षण दिया जाए तो उसके व्यक्तित्व का विकास, एक योग्य शिक्षक के रूप में किया जा सकता है। इसके साथ ही, यशपाल समिति (1992) ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के स्वतंत्र चिंतन व स्व-अधिगम क्षमता के विकास पर मुख्य रूप से जोर दिया है। बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण में सुधार कर उसे उन्नत बनाने के लिए एन.सी.एफ.टी.ई. रेगुलेशन (2009) एवं रेगुलेशन (2014) के अलावा आर.टी.ई. एक्ट (2009) में भी शिक्षण सक्षमता की जरूरतों पर बल दिया गया है। वर्तमान समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक अपने शिक्षण-प्रशिक्षण में विविध बदलाव कर विषयवस्तु को रुचिपूर्ण बनाकर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभा सकता है।

‘शिक्षा मनोविज्ञान’ के अंतर्गत बी.एड. प्रशिक्षणार्थी मनोविज्ञान के समस्त संकल्पनाओं से अवगत होकर बालक के व्यवहारों का अध्ययन, आंकलन व मूल्यांकन कर वांछनीय परिवर्तन करना सीखते हैं। उसी प्रकार, ‘निर्देशन व परामर्श’ विषय के अंतर्गत बालकों की कुंठाओं, विचलित व्यवहारों एवं कुसमायोजन आदि अध्ययन कर निर्देशन व परामर्श की संकल्पनाओं व तकनीकियों का उपयोग कर उचित मार्गदर्शन करना सीखते हैं। वही,

‘शिक्षा तकनीकी’ के अंतर्गत शिक्षण संबंधित तभी तकनीकियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखते हैं। ‘पाठ्यचर्या निर्माण एवं विकास’ विषय के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी किसी भी विषय विशेष से संबंधित पाठ्यक्रम निर्माण के दौरान उपयोग में आने वाली सभी बारीकियों का अध्ययन करते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो बी.एड. पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले समस्त विषय, एक शिक्षण प्रशिक्षणार्थी के योग्य शिक्षक संबंधित सभी गुणों, विचारों, अभिवृत्तियों व कौशलों की वृद्धि कर, उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है, परन्तु वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की इस पाठ्यक्रम के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति होती जा रही है। वे बी.एड. पाठ्यक्रम के अंतर्गत दर्शाई गयी व इसमें सम्मिलित होने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधियों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

शिक्षा से जुड़े समस्त प्राधिकृत निकायों द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बनाए रखने के लिए दिन-प्रतिदिन नवीन नीतियों का निर्माण किया जा रहा है। सरकारी तथा गैर सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की योग्यता एवं पात्रता के संदर्भ में मापदंड निर्धारित किए जा रहे हैं। इन सबके बावजूद बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों का रुझान बी.एड. पाठ्यक्रम के प्रति नकारात्मक है, जिसके फलस्वरूप बी.एड. महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान परिपेक्ष्य में, बी.एड. पाठ्यक्रम प्रशिक्षण न होकर मात्र एक डिग्री रह गया है। बी.एड. प्रशिक्षणार्थी, एक पालक के रूप में अपने बालकों के लिए विद्यालय स्तर पर योग्य शिक्षकों की आशा तो जरूर रखते हैं, परन्तु वे स्वयं अपने स्तर पर, एक योग्य शिक्षक बनने के लिए दिया जाने वाला प्रशिक्षण को गंभीरता से नहीं लेते हैं। महाविद्यालयों में, बड़े स्तर पर प्रशिक्षणार्थियों की अनुपस्थिति विचारणीय हैं।

संख्यात्मक दृष्टि से संस्थानों में वृद्धि के उद्देश्य से निजी महाविद्यालयों को अध्यापक शिक्षा के लिए मान्यता प्रदान तो कर दी जा रही है परंतु क्या ये संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बनाए रखने में सक्षम हैं? वर्तमान में, निजी महाविद्यालयों में

अध्यापक शिक्षा की स्थिति विचारणीय है। अध्यापक शिक्षा की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि निजीकरण ने व्यवसायीकरण व व्यापारीकरण को ही बढ़ावा दिया है, साथ ही अंक आधारित चयन प्रक्रिया ने विद्यार्थियों को मात्र परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए ही अभिप्रेरित किया है। निजी महाविद्यालयों में बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों को बिना विशेष मेहनत के अंक पुरे दिए जा रहे हैं और अच्छे अंक पाकर प्रशिक्षणार्थी खुश और संतुष्ट हो जाते हैं परंतु गुणवत्ता के नाम पर ठगे जा रहे हैं। इसी कारणवश अध्यापक शिक्षा न तो उत्तम शिक्षक एवं शिक्षिका को तैयार करने में सक्षम हो पा रहे हैं और न ही उनमें उच्च स्तरीय गुणवत्ता को समावेशित कर पा रही है। इधर कुछ वर्षों में निजी प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जहाँ योग्य अध्यापकों की प्रायः बड़ी कमी है। कस्तूरीरंगन समिति (2019) द्वारा सरकार को सौपी गयी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में शिक्षक बनाने वाले 17 हजार संस्थान हैं, जिनमें 92% निजी क्षेत्र के हैं जो व्यावसायिक दुकानों की तरह काम कर रहे हैं तथा ये संस्थान न्यूनतम पाठ्यक्रम की जरूरतें पूरी नहीं करते और न ही इन पर नियंत्रण है।

निजी महाविद्यालयों में शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रमों में एन.सी.टी.ई. के दिशा निर्देशों के बावजूद काफी भिन्नताएँ पाई जाती हैं। निजी महाविद्यालयों में सुयोग्य अध्यापकों को उचित वेतन नहीं मिलता है क्योंकि इन महाविद्यालयों के अधिकांश प्रबंधन तंत्र तो इस पाठ्यक्रम के द्वारा महाविद्यालय एवं निजी कोषों को भरने की प्रवृत्ति से ग्रस्त दिखते हैं, जिससे शिक्षण और प्रशिक्षण का स्तर गिरता जा रहा है। निजी प्रशिक्षण संस्थान उच्च स्तर के नाम पर केवल ऊंची कमाई का व्यवसाय है। इस परिप्रेक्ष्य में इवान इलिच की यह उक्ति कि- डॉक्टर किसकी सेवा करते हैं- क्या जनता या मरीज की? तो उसका उत्तर था कि वे तो दवा उद्योग की सेवा करते हैं। उसी प्रकार निजी प्रशिक्षण संस्थान तो संस्थान के मालिकों की ही सेवा करते हैं और निजी तंत्र का एक शोषण तंत्र विकसित करते हैं। राज्य शासन, विश्वविद्यालय एवं एन.सी.टी.ई. मिलकर भी वांछनीय प्रतिमानों का अनुरक्षण नहीं कर पा रही हैं। प्रवेश, शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध तथा परीक्षण

इनके सारे प्रतिमान गिरते जा रहे हैं। अधिकांश प्रशिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं द्वारा शिक्षण अभ्यास की औपचारिकता निभायी जाती है जो कि नितांत चिंतनीय है।

यह आशा की जाती है कि बी.एड. प्रशिक्षणार्थी अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा करने के उपरांत इस दशा में आ जाए कि वे अर्जित ज्ञान, अर्जित संप्रेषण कलाओं, शिक्षण की अभियोग्यता एवं विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने की कला में वांछित अधिकारिता से संयोजित हो जाए तथा शिक्षण-अधिगम में नवीनतम प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक व्यवहारिक प्रयोग करने में दक्षता प्राप्त कर सकें। निजी महाविद्यालयों द्वारा संपन्न की जाने वाली अध्यापक शिक्षा एवं उनके शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम तो प्रायः मखौल की स्थिति में नजर आते हैं। गहन ज्ञान, अनुप्रयोग क्षमता, संश्लेषण-विश्लेषण, अभियोग्यता एवं अन्यान्य शिक्षण संगठन कुशलताओं का समुचित मापन वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से नहीं हो पा रहा है। इनका निराकरण, प्रभावी गुणात्मक सुधार और पुर्नसंयोजन यथाशीघ्र किया जाना चाहिए।

बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के नकारात्मक अभिवृत्ति के कई कारण हो सकते हैं, जैसे—

- गैर सरकारी महाविद्यालयों में आवंटित सीट्स पर प्रवेश को लेकर प्रतिस्पर्धा का होना। जिसके अंतर्गत निजी महाविद्यालयों द्वारा बी.एड. प्रत्याशियों को महाविद्यालयों में प्रवेश दिलवाने संबंधी कई प्रकार के प्रलोभन दिये जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है- विद्यार्थियों की अनुपस्थिति को लेकर कोई विवाद न करना। बी.एड. प्रत्याशियों को उनकी शर्तों पर, नियमित आधार पर प्रवेश देकर निजी महाविद्यालय अपनी सीट्स तो भर लेते हैं परंतु शिक्षक की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित नहीं करते हैं। निजी महाविद्यालय प्रलोभन के लिए शाला में नियमित उपस्थिति, असाइनमेंट, प्रयोगिक विषय संबंधित फाइल्स, विषय संबंधित व्याख्यान में उपस्थिति आदि जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों में छूट दे देते हैं, जिसके फलस्वरूप बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों को

पाठ्यक्रम की गंभीरता व उपयोगिता समझ ही नहीं आती है और उनमें नकारात्मक अभिवृत्ति जन्म लेती है।

- निजी महाविद्यालयों में शिक्षकों के वेतन में कमी होना भी बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में नकारात्मक अभिवृत्ति को उत्पन्न करने का कारण होती है। गुप्ता, प्रसाद एवं अन्य (2011) ने अपने शोध के निष्कर्ष में बताया कि सरकारी क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों में, निजी क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों की तुलना में अधिक प्रतिबद्धता एवं संतुष्टि पाई गई। निजी महाविद्यालयों के प्राध्यापक अपने कम वेतनमान के चलते उनके कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं होते हैं। वे स्वयं ही नकारात्मक अभिवृत्ति से घिरे होते हैं तथा अपने वचनों से बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में नकारात्मक अभिवृत्ति को जन्म देते हैं। कंवर (2004) ने अपने शोध अध्ययन में पाया कि विद्यालयों के अध्यापकों में मूल्य के सभी आयामों एवं शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति में नकारात्मक सहसंबंध है, साथ ही महाविद्यालयी शिक्षकों के मूल्यों एवं शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति में भी नकारात्मक सहसंबंध है। वे विद्यार्थियों को संदर्भ पुस्तकों से ना पढ़ाकर गाइड या कुंजी का उपयोग करते हैं, साथ ही विद्यार्थियों को भी कुंजी का अनुसरण करने की सलाह देते हैं। फलस्वरूप विद्यार्थी विषय संबंधित संकल्पनाओं का विस्तार से अध्ययन नहीं करते हैं। यही कारण है कि बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में बी.एड. पाठ्यक्रम प्रशिक्षण संबंधित गंभीरता नहीं पायी जाती है और वे नकारात्मक अभिवृत्ति के शिकार होते हैं और शिक्षण व्यवसाय के प्रति भी अभिवृत्ति नकारात्मक हो जाती है। कुमार (1995) ने भी अपने शोध अध्ययन में पाया कि महिला एवं पुरुष शिक्षक प्रशिक्षुओं में शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है।

- महाविद्यालय प्रमुख द्वारा बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की असाइनमेंट संबंधित निष्ठाहीन विचारों को प्रश्रय देने से उनकी नकारात्मक अभिवृत्ति प्रबल हो जाती है तथा वे पाठ्य सहगामी गतिविधियों के प्रति गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यदि महाविद्यालय का कोई प्राध्यापक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत असाइनमेंट,

टेस्ट, रिपोर्ट या व्याख्यान संबंधित गतिविधियों में संलग्न भी करना चाहे तो महाविद्यालय प्रमुख द्वारा उसे रोक दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में नकारात्मक अभिवृत्ति जन्म ले लेती है। नरसिंह (2007) ने अपने शोध अध्ययन के माध्यम से बताया कि बी.एड. महाविद्यालयों के महिला और पुरुष प्रशिक्षकों के मध्य कोई भावनात्मक संबंध नहीं है। महिला और पुरुष प्रशिक्षक, दोनों के बीच सामंजस्य भी कम पाया जाता है।

- बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों को बिना किसी कठिन परिश्रम के आंतरिक व प्रयोगिक परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त होना। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में, निजी महाविद्यालय अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अनियमित छात्रों को भी आंतरिक व प्रयोगिक परीक्षाओं में उच्च अंक प्रदान करते हैं, जिससे सरलता से उन्हें परीक्षा परिणाम प्रथम श्रेणी उच्च प्रतिशत के साथ प्राप्त होता है। वे पाठ्यक्रम संबंधित गतिविधियों के महत्व व गंभीरता से परिचित नहीं हो पाते हैं और बी.एड. पाठ्यक्रम को कम महत्व देते हैं। उनकी मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार बी.एड. पाठ्यक्रम सबसे आसान पाठ्यक्रम है, जिसे पास करने के लिए ज्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं है। यह भी बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में नकारात्मक अभिवृत्ति का एक कारण है।

- बी.एड. सैद्धान्तिक परीक्षा प्रपत्र की सरल संरचना तथा उत्तरपुस्तिकाओं की जाँच लचीले ढंग से करना। विश्वीविद्यालयों द्वारा निर्मित निजी महाविद्यालयों के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के सैद्धान्तिक परीक्षा प्रपत्र में सरल व सीधे प्रश्नों का समावेश किया जाता है। प्रश्नों की संरचना उपयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक स्तर की ना होकर ज्ञानात्मक व बोधात्मक स्तर की ही होती है। साथ ही परीक्षा प्रपत्र की उत्तरपुस्तिकाओं की गंभीरता से जाँच नहीं की जाती है जिसके परिणाम स्वरूप सैद्धान्तिक परीक्षा प्रपत्र में प्रशिक्षणार्थियों को औसत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तथा वे आसानी से टॉप कर जाते हैं, इस कारण से भी बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों का बी.एड. पाठ्यक्रम के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

• निजी महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को जरूरी संसाधन भी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, जिसके कारण वे नवीन प्रयोगों व अनुसंधानों से अवगत नहीं हो पाते हैं। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के नवचारिक प्रयोगों एवं अनुसंधानों से वंचित होने के कारण विद्यार्थियों को नई-नई जानकारियाँ या तथ्य उपलब्ध कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे नकारात्मक अभिवृत्ति प्रबल होती है। अतः निजी महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को वांछित सभी आधुनिकतम संसाधन और सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए ताकि नवाचारी प्रयोगों एवं नव अनुसंधान से अवगत होते रहे।

निष्कर्ष: शिक्षा से जुड़े समस्त प्राधिकृत निकाय द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए दिन-प्रतिदिन नवीन नीतियों का निर्माण किया जा रहा है तथा प्राध्यापकों की योग्यता एवं पात्रता के मापदंड निर्धारित किए जा रहे हैं, परंतु निजी प्रशिक्षण संस्थानों पर इनका नियंत्रण नहीं है। निजी प्रशिक्षण संस्थानों ने अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण को ही बढ़ावा दिया है, जहाँ अधिकांश प्रबंधन तंत्र तो इस पाठ्यक्रम के द्वारा महाविद्यालय एवं निजी कोषों को भरने की प्रवृत्ति से त्रस्त दिखते हैं। निजी महाविद्यालयों द्वारा संपन्न की जाने वाली अध्यापक शिक्षा एवं उनके शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम तो प्रायः मखौल की स्थिति में नजर आते हैं, जिसकी वजह से बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में इस पाठ्यक्रम के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है, अतः इनका निराकरण, प्रभावी गुणात्मक सुधार और पुर्नसंयोजन यथाशीघ्र किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

कंवर, जे. पी. एस. (2004). "विद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों में शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति और मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन", *अब्स्ट्रैक्ट ऑफ़ रिसर्च स्टडीज कांडक्टेड बाई टीचर एजुकेशन इंस्टिट्यूशंस इन इंडिया*, एडी. गोएल एट. अल, वड़ोदरा: यूनिवर्सिटी ऑफ़ बरोदा, वोल. III, पृ. सं. 158-164.

कुमार, ए. (1995). “ए स्टडी ऑफ़ एटीट्यूड ऑफ़ टीचर ट्रेनीस टुवर्ड्स टीचिंग प्रोफेशन”, अनपब्लिशड पीएच-डी थीसिस, केरल: यूनिवर्सिटी ऑफ़ केरल.

कुमार, एम. (2018). “शिक्षक-शिक्षा में गुणवत्ता के मुद्दे”, रिव्यू ऑफ़ रिसर्च, मार्च 2018, वोल.7, अंक 6, पृ.सं. 1-8.

गुप्ता, प्रसाद एवं अन्य (2011). “उच्च शिक्षा के अध्यापकों की भारत में शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का प्रभाव”, अफ्रीकन जर्नल ऑफ़ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, वोल. 1, नं. 2, पृ.सं. 112-124.

नरसिंह, एम. आर. (2007). “गृहवातावरण शिक्षण दक्षता और अभिवृत्ति के संदर्भ में शिक्षण व्यवसाय के प्रति बी.एड. संस्थानों के शिक्षक-प्रशिक्षकों की अभिवृत्ति”, इंडियन एजुकेशनल अब्सट्रैक्ट (2007), जनवरी एंड जुलाई 2007, पृ.सं. 58-59.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति व संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986 व 1992). मानव संसाधन विकास विभाग, नई दिल्ली: भारत सरकार.

<https://mhrd.gov.in/dr-k-kasturirangan-committee-submits-draft-national-education-policy-union-hrd-minister>